

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

अमरोहा

पत्र सं०: एफएस-सीएफओ-2019(पैट्रोल पम्प)/486
सेवा में,

दिनांक-अक्टूबर 22, 2019

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)

जनपद अमरोहा।

विषय:-खसरा/गाटा सं०: 2958/1, 2 (पार्ट ऑफ), ग्राम अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निसुरक्षा सम्बंधी स्थलीय निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भ-आपका पत्रांक: 1812/आबकारी सहायक/2019 दिनांक अक्टूबर 11, 2019 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र के अनुसार खसरा/गाटा सं०: 2958/1, 2 (पार्ट ऑफ), ग्राम अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमनशमन अधिकारी अमरोहा/गजरौला द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया, विवरण निम्नवत है:-

प्रस्तावित स्थल खसरा/गाटा सं०: 2958/1, 2, जोया-नौगावों-बिजनौर मार्ग पर स्थित है। प्रस्तावित स्थल पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं। प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।

प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोलिम रुल्स-2002 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था कराया जाना वांछनीय है:-

1. ए०बी०सी० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर- 08 अदद।
2. सी०ओ०टू० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर- 02 अदद।
3. फोम ट्राली क्षमता 45 लीटर- 01 अदद।
4. फायर बकेट्स एवं वाटर बकेट्स 05-05 अदद।
5. नो स्मोकिंग बोर्ड।
6. बालू का रिजर्व स्टॉक एवं बेलचा।

अतः खसरा/गाटा सं०: 2958/1, 2 (पार्ट ऑफ), ग्राम अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना निरीक्षण आख्या निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ प्रेषित की जाती है:-

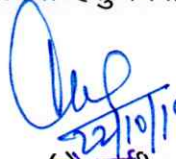
1. प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प का संचालन पैट्रोलिम एक्ट-1934 के अनुसार एवं समय-समय पर यथा संसोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप किया जायेगा।
2. मानचित्र में दिये गये क्रम संख्या 01 से 23 तक बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेंशन विद्युत लाईन नहीं गुजारी जायेगी।
4. प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
5. प्रस्तावित स्थल पर धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक तथा आपतकालीन सेवाओं के टेलीफोन नं० की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
6. पैट्रोल पम्प पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी आग उत्पन्न करते हैं, का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किये जायेंगे।
7. प्रस्तावित स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-2148 तथा सम्बंधित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार करायी जानी अनिवार्य होगी।

क्रमशः.....02

8. प्रस्तावित स्थल पर स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा त्रुटि का अविलम्ब निराकरण किया जाये।
9. प्रत्येक 06 माह में एक बार सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये।
10. रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प के निर्माण उपरान्त संचालन से पूर्व मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना कराकर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. प्रस्तावित स्थल पर स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण व्यवस्थाओं के अकार्यशील दशा में पाये का पूर्ण उत्तरदायित्व व्यवस्थापक का होगा तथा प्रेषित निरीक्षण आख्या को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

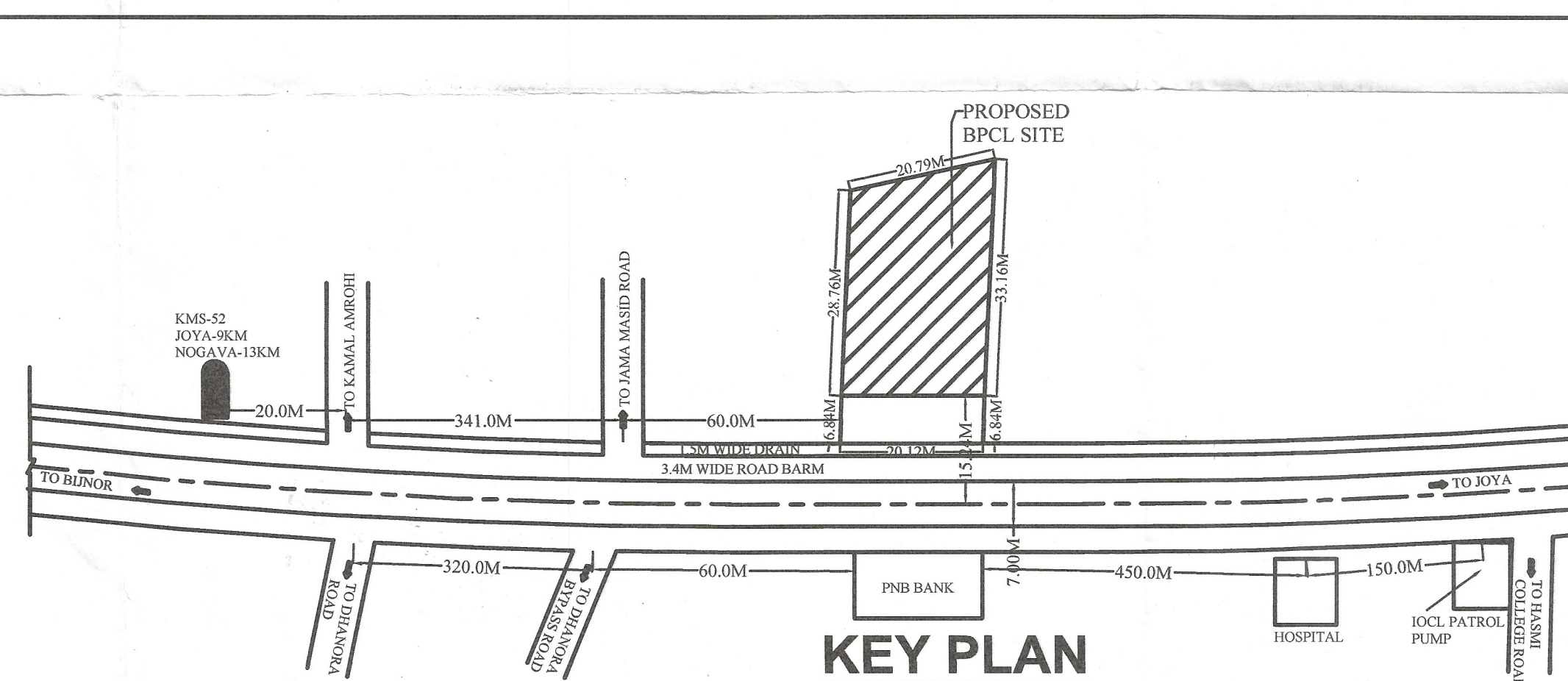
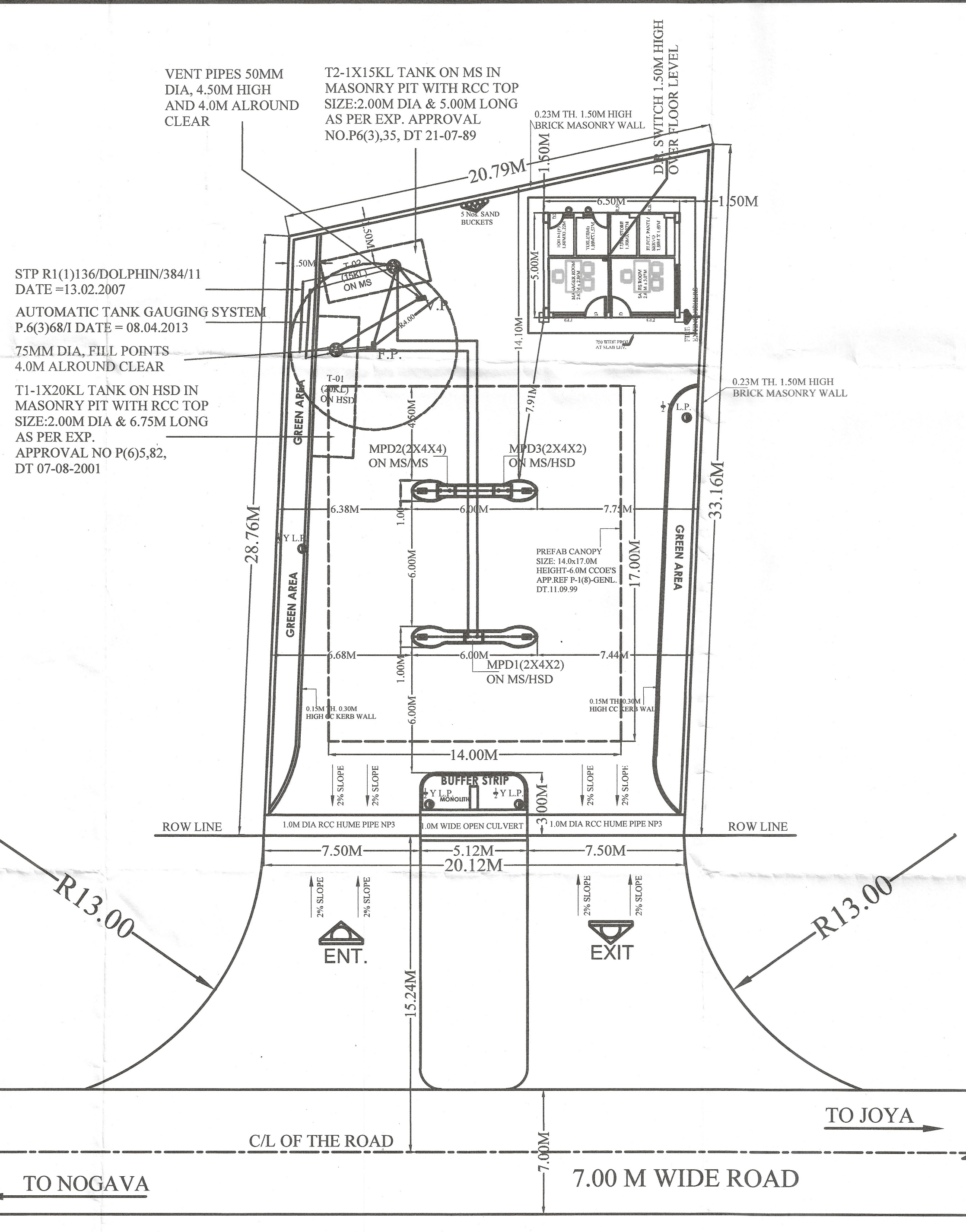
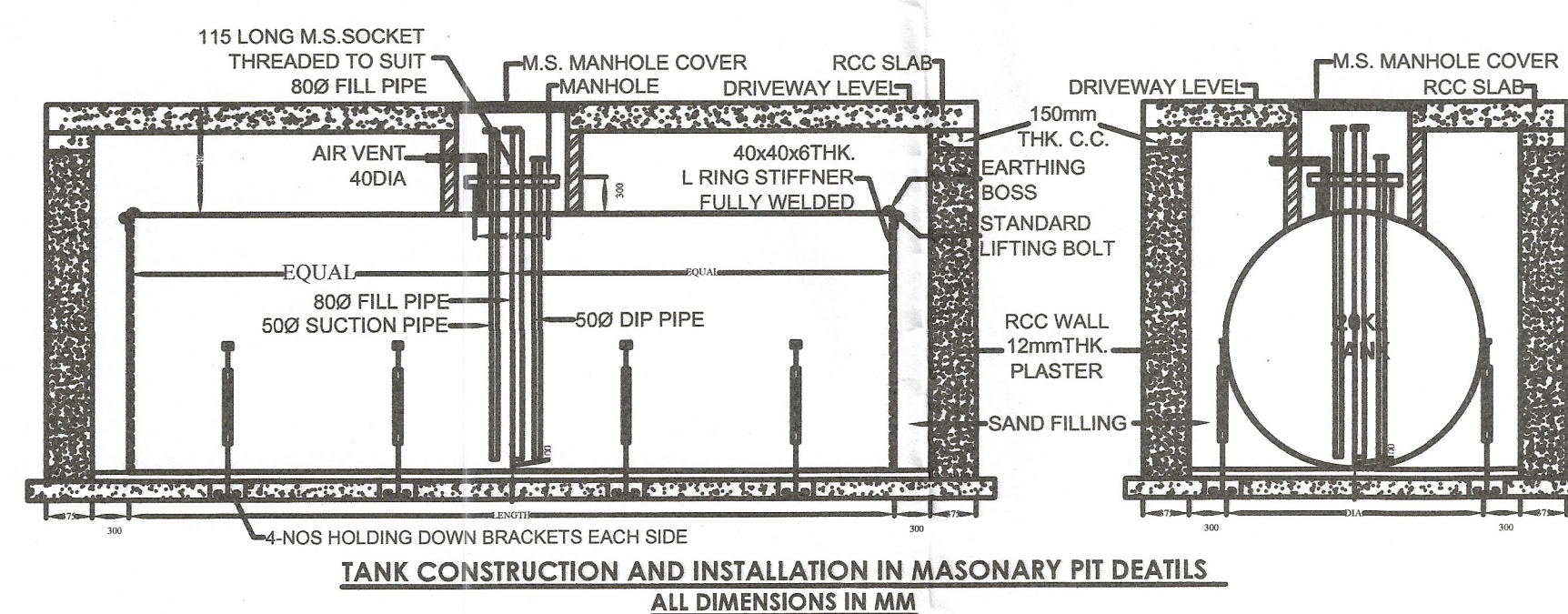
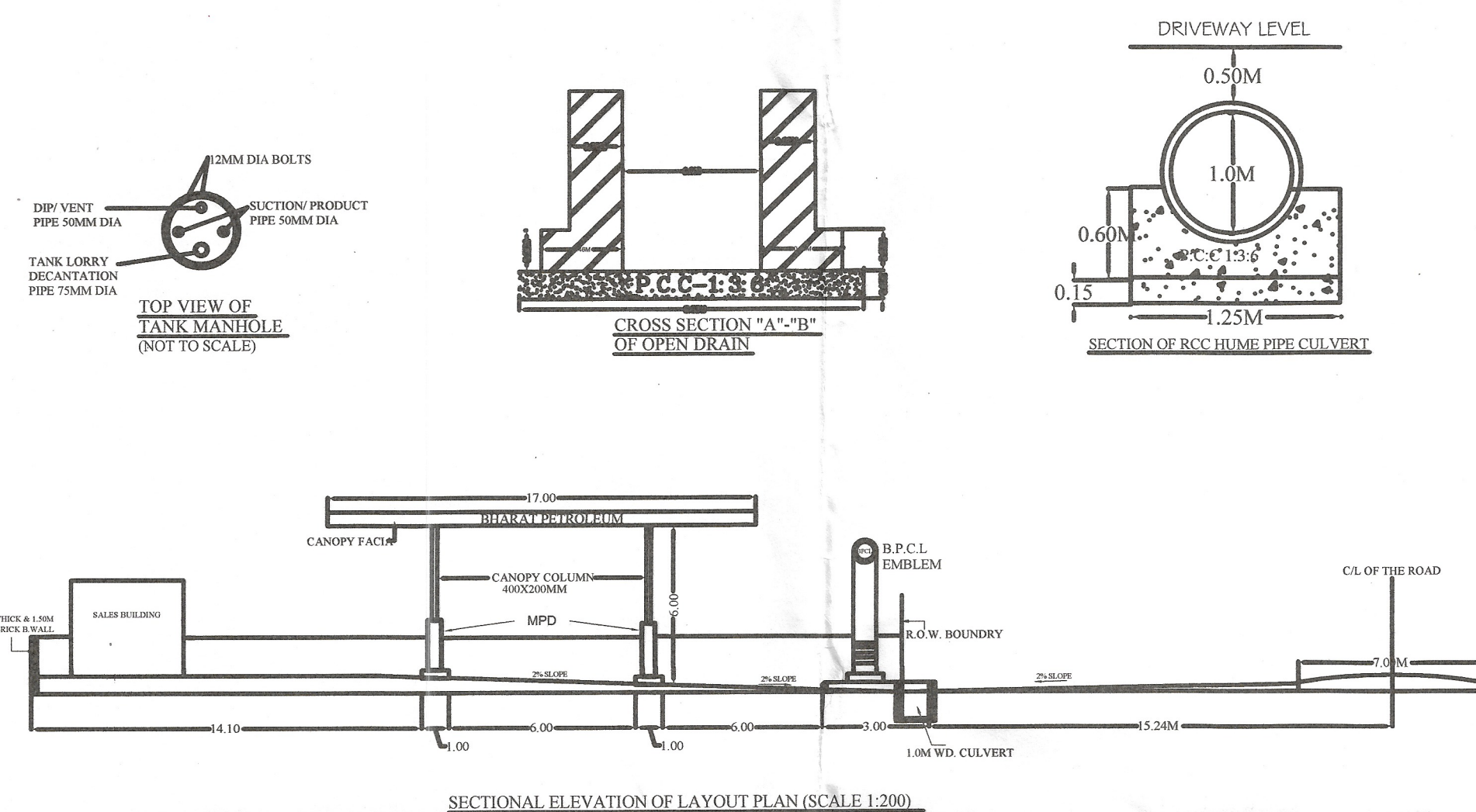
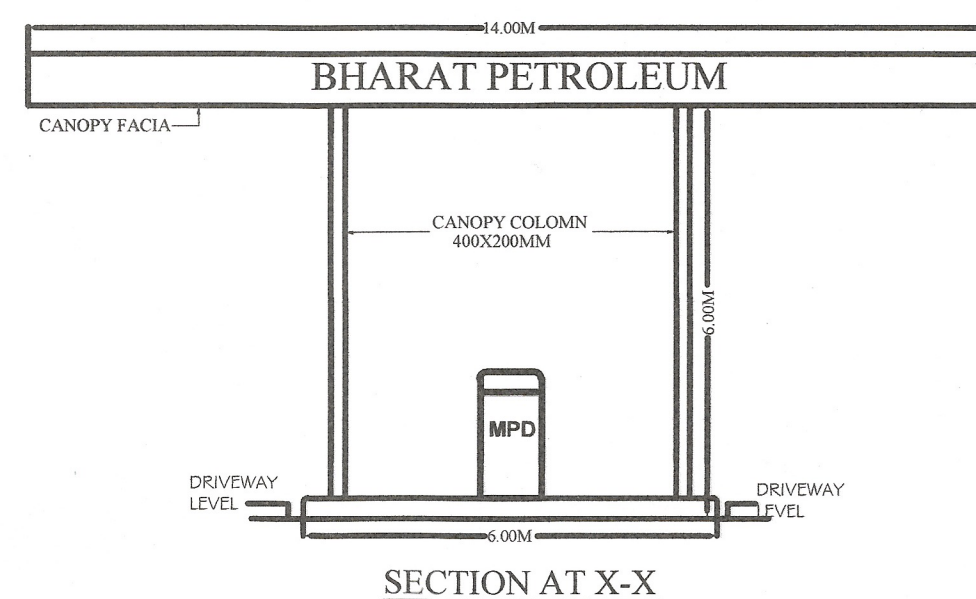
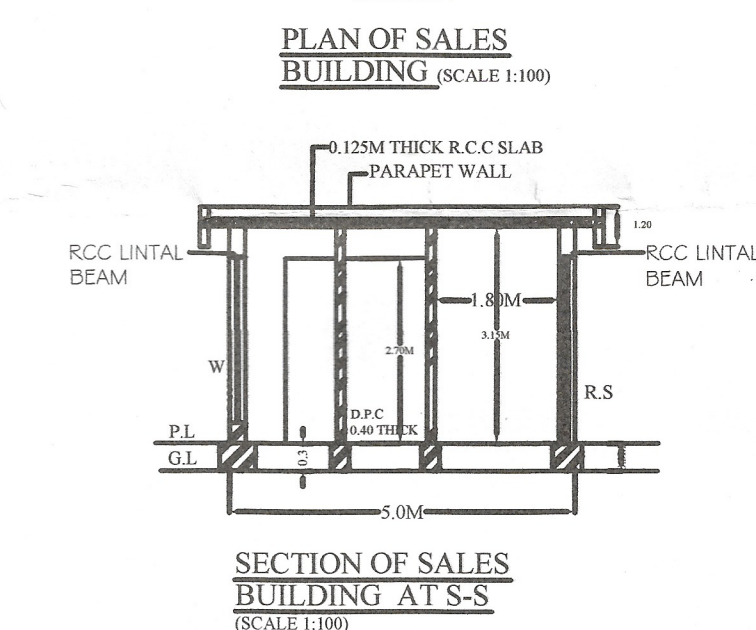
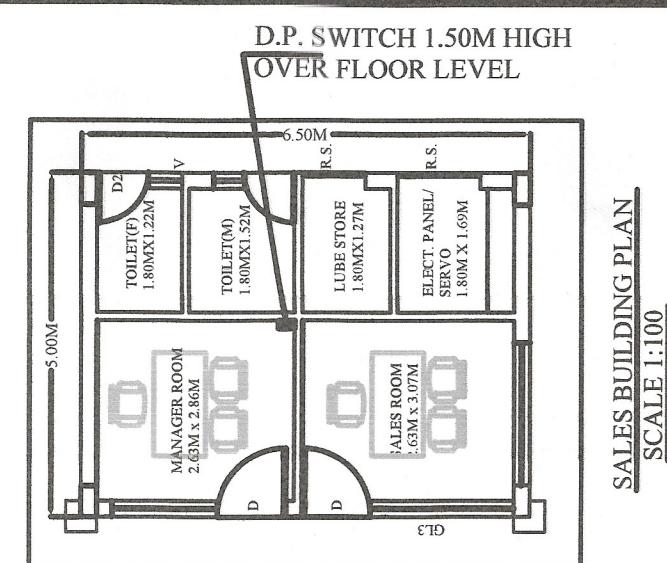
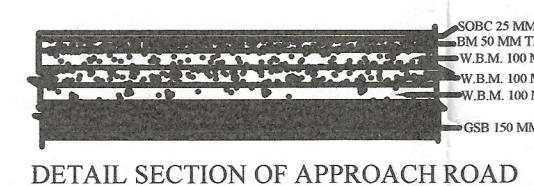
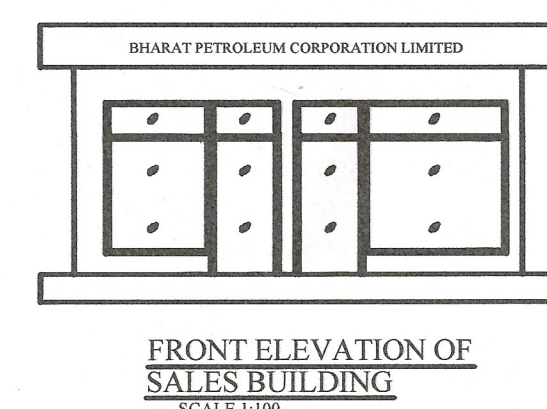
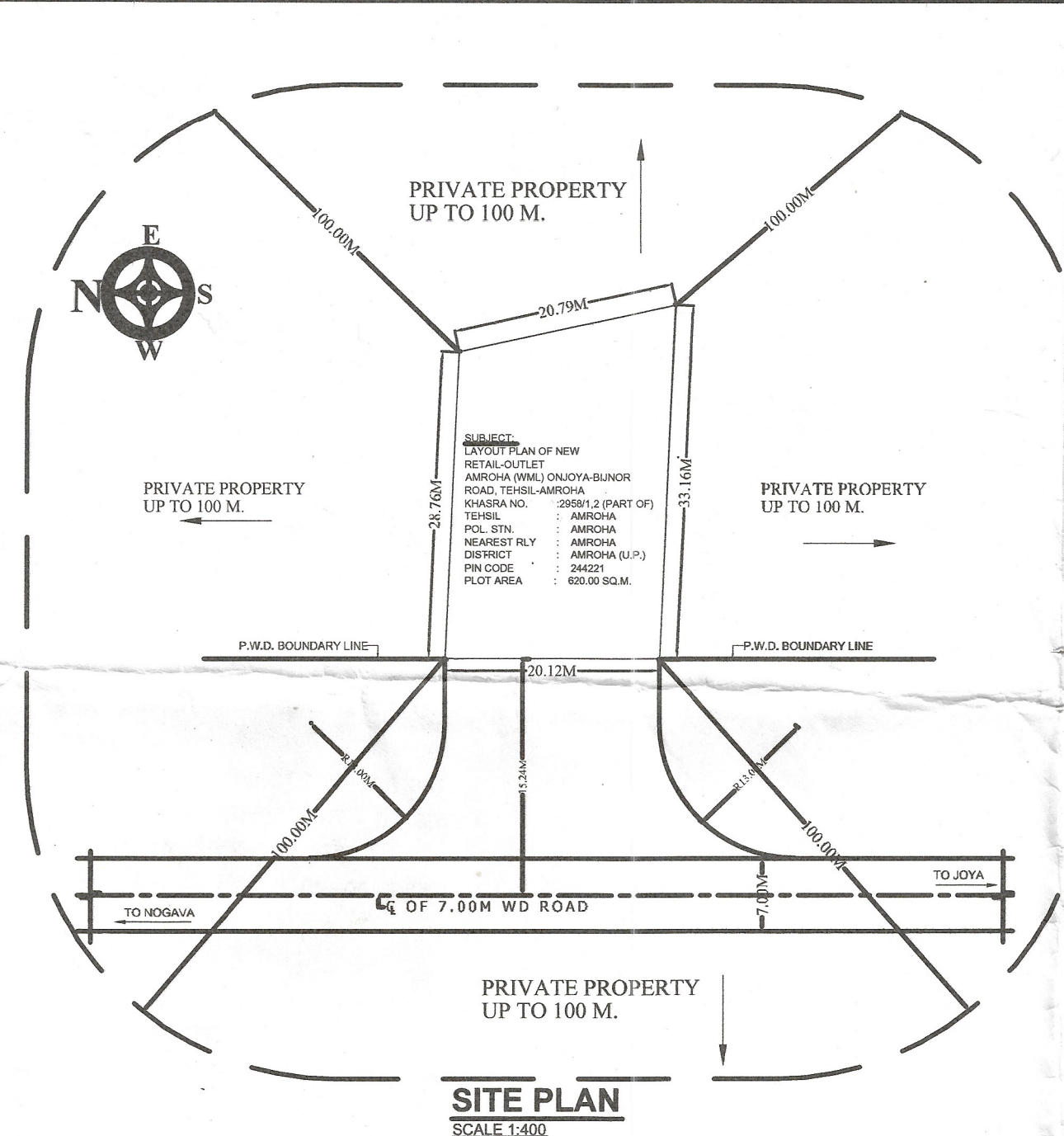
अतः खसरा/गाटा सं०: 2958/1, 2 (पार्ट ऑफ), ग्राम अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक— अनुमोदित मानचित्र।


(को० कर्मी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जानापुर-अमरोहा

प्रतिलिपि:—

1. अग्निशमन अधिकारी अमरोहा/गजरौला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आवेदक को अनुपालनार्थ।



सत्येन्द्र कुमार सिंह
अग्निशमन अधिकारी
गजरौला

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-अमरोहा

NOTES:

1. VENT PIPE 4.00M HIGH ENDED COVERED WITH TWO LAYERS OF BRASS WEAUGE 11 MMH PER LINEAL CENTIMETER.
2. FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING & AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. DIP PIPE WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE F.F. CEMENTED TO 15.2148.
5. ALL JOINTS OF BUILDING SHALL BE OPENED OUTWARD.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6.00M OF THE U/G TANK AND DMU.
7. BUILDING SHALL BE USED ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCT.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED OXIDE PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF U/G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO 15.1990.10.10 AS PER C.C.E. NAGPUR ORDER NO. G-44C/C/2012/DT-24-02.99
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.S. 304 STAINLESS STEEL SHALL BE USED FOR ALL TANKS.
12. F.E-FIRE EXTINGUISHERS AGON AS PER EXPLOSIVE RULE.
13. TANK SHALL BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO CONSTRUCTION AND AFTER PROTECTIVE COATING IS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AS A CONTROLLED PRESSURE OF 6 KG/CM2 FOR 2 HOURS.
14. DIP RODS SUPPLIED WITH THE TANK FOR THE TYPE OF DISTRIBUTION
15. SHELL THICKNESS SHOULD BE 320MM LONG INSTEAD OF 235MM.
16. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATE AND END PLATE OF TANKS SHALL - 6MM
17. TANKS CONFORM TO 124.15 431.1 OF THE PR-2002.
18. ALL LIGHT BOLTS ARE FITTED AS PER APPROVAL OF C.C.E.
19. NO OPEN VIDE LETTER SHALL BE ALLOWED.
20. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW AT 1:40 TO 1:60 RATIO.
21. SITE METES APPLICABLE ARE CIR-1983 NORMS LATEST AMENDMENTS.
22. E.V -EXTENDED VENT PIPES
23. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO COURT PENDING ON A COURT OF LAW.
- 24.THERE IS NO OVERHEAD H.T. LINE PASSES THROUGH THE PLOT.
25. DRAWING PREPARED AS PER MORT AND HIGHWAY GUIDE LINES (1974) AND ROAD AND BRIDGE DESIGN THIRD EDITION (1970) GUIDES
26. APPLICABLE I.R.C. NORMS ARE MET.

PUMP DETAIL				
S.NO.	PRODUCT	CLASS	CONNECT TO TANK	
MPD-1 (2X4X2)	MS/HSD	A / B	T-1 & T-2	
MPD-2 (2X4X4)	MS/MS	A / A	T-2	
MPD-3 (2X4X2)	MS/HSD	A / B	T-1 & T-2	

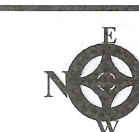
TANK TABLE:					
S.NO.	PRODUCT	CAPACITY	LENGTH(M)	HA(M)	REMARK
T-1	HSD	20KL	6.75	2.00	IN EARTHEN PIT
T-2	MS	15KL	5.00	2.00	IN EARTHEN PIT

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN MILIMETERS & METER
UNLESS OTHERWISE NOTED.

Bharat Petroleum Corporation Limited

SCALE	: AS SHOWN
DATED	: 04.10.2019
DRG NO.	: BPC/AMROHA (WML)

NORTH ·



SUBJECT:
LAYOUT PLAN OF NEW RETAIL-OUTLET
AMROHA (WML) ON
JOYA-BIJNOR ROAD, TEHSIL-AMROHA
KHASRA NO. : 2958/1,2 (PART OF)
TEHSIL : AMROHA
POL. STN. : AMROHA
NEAREST RLY : AMROHA
DISTRICT : AMROHA (U.P.)
PIN CODE : 244221
PLOT AREA : 620.00 SQ.M.

PREPARED BY :
MANAGER (Construction)
B.P.C.L., Meerut.